

नव भारत



6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत



5 देश के राज्यों में बारिश का रौद्र रूप



8 वनडे रैंकिंग में फिर स्मृति मंधाना आईसीसी नंबर वन



9 स्टोर पर दवाइयों की नयी मूल्य सूची रखना जरूरी

एक नजर में



युवराज सिंह, सोनू सूद से ईडी करेगी पूछताछ

नई दिल्ली. बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी ने कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ-साथ एक्टर सोनू सूद को तलब किया है. इन तीनों से ही पूछताछ होगी. अधिकारियों ने कहा कि रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को वीएडब्लेड नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में अगले सप्ताह अलग-अलग दिन पेश होने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है.

5 लाख की एमडी ड्रस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

आगर-मालवा. मध्यप्रदेश के आगर-मालवा कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर मालीखेड़ी रोड स्थित नाग महाराज मंदिर के पास दशिया देकर आरोपियों को पकड़ा गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अल्हेज उर्फ याटा (20) और आमिर उर्फ चुडू (32), दोनों निवासी आगरमालवा के रूप में हुई है. इनके पास से 40 ग्राम एमडी ड्रस बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है.

असम की अफसर के घर मिले 2 करोड़ के जेवर

गुवाहाटी. असम सिविल सेवा की अधिकारी नूपुर बोरा को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया. स्थानिक विजिलेंस टीम ने नूपुर के गुवाहाटी वाले घर पर छाप मारा. जहां से 92 लाख नकद और लगभग 2 करोड़ के जेवर बरामद किए गए. एक दूसरी टीम ने बारपेटा में उनके किराए के घर पर भी छाप मारा, जहां से करीब 10 लाख नकद बरामद हुए. विजिलेंस ने नूपुर के सहयोगी लाट मंडल सुरजीत डेका के घर भी छाप मारा. नूपुर पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा रेवेन्यू सर्किल में रहते हुए पैसे के बदले हिंदुओं की जमीन सदिग्ध व्यक्तियों के नाम की थी.

मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर घटाए दूध के दाम

नई दिल्ली. उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है. नए दाम 22 सितंबर से लागू होंगे. कंपनी का यह कदम हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर दरों में किए गए संशोधन के बाद उठया गया है, जिसके तहत कई जरूरी खाद्य पदार्थों को कर मुक्त कर दिया गया है या उन्हें कम कर स्लैब में रखा गया है. मदर डेयरी ने बताया कि दूध के अलावा अन्य डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, मखन, चीज और आइसक्रीम की कीमतें भी नए जीएसटी दरों के अनुरूप घटाई जाएंगी.

गुस्ताखी माफ



एसीपी समेत 8 कर्मचारी निलंबित

मृतकों को चार-चार लाख तथा घायलों को पचास पचास हजार की सहायता दी

- ▶ डीसीपी अरविन्द तिवारी पीएचक्यू अटैच
- ▶ आरटीओ के दो बाबू को किया निलंबित
- ▶ मैकेनिकल स्टाफ पर भी आई आंच
- ▶ घायलों से मिले सीएम, जिम्मेदारों पर गिरी गाज
- ▶ हाई कोर्ट ने लिया स्वसंज्ञान

नव भारत न्यूज इंदौर, 16 सितम्बर. एयरपोर्ट रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर पहुंचे. उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी. उन्होंने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को मदद देने की घोषणा की. उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की.

मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के बाद जिम्मेदारों पर तुरंत



कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रारंभिक जांच में सामने आई बड़ी लापरवाहियों को देखते हुए परिवहन विभाग के दो निरीक्षक और कार्यालय के एक बाबू को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. तकनीकी जांच में कोताही बरतने वाले दो मैकेनिकल स्टाफ पर भी गाज गिरी है. इसके अलावा यातायात व्यवस्था की निगरानी में चूक सामने आने पर यातायात डीसीपी को हटाने का आदेश जारी किया है. पुलिस ने ट्रक मालिक और परिवहन कंपनी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है. इस दौरान सीएम ने स्पष्ट कहा

मदद करने वालों को पुरस्कार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समय रहते मदद करने वाले कांस्टेबल पंकज यादव, अनिल कोठारी और एक ऑटो चालक को पुरस्कृत करने का ऐलान किया. उन्होंने एसीएस होम को घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं.

कि दोषी चाहे किसी भी स्तर पर हो, कार्रवाई से नहीं बच पाएगा. कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस

मुख्यमंत्री ने लिए कड़े फैसले

एयरपोर्ट रोड हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़े फैसले लिए. लापरवाही उजागर होने पर यातायात डीसीपी अरविंद तिवारी को हटाया गया. वहीं एसीपी सुरेश सिंह, एसएसआई प्रेम सिंह, सूबेदार चंद्रशेखर मरावी और निरीक्षक दीपक यादव सहित ड्यूटी पर मौजूद चारों कांस्टेबल निलंबित कर दिए.

इंदौर की घटना पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

जबलपुर. इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मार दी. शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुए इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया. इस घटना में घायल हुए 12 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में इंदौर पुलिस कमिश्नर वर्तुअली हाजिर हों और यह बताएं कि शहर में नो-एंट्री रहते हुए ट्रक कैसे घुस गया. हाईकोर्ट ने मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की परिस्थितियों की

मैडिकल के छात्र की पशु तस्करों ने की निर्मम हत्या

गोरखपुर. पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में सोमवार की आधी रात उस वक्त सप्तसनी फैल गई जब पशु चोरी करने आए तस्करों ने 19 वर्षीय नीट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी. छात्र की पहचान दीपक गुप्ता के रूप में हुई है, जो नीट की तैयारी कर रहा था. गांव वालों ने दावा किया है कि रात करीब 12.30 बजे तीन गाड़ियों से पशु तस्कर गांव पहुंचे. वे मवेशियों को खूटे से खोल रहे थे, तभी ग्रामीणों ने शोर मचा दिया.

धर्मांतरण विरोधी कानून वाली राज्य सरकारों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने चार हफ्ते का दिया समय

नई दिल्ली 16 सितम्बर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले राज्यों को इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई अद्वैतवादी वाली और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की

पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.

सुनवाई के दौरान, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई

करने का आग्रह किया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में स्थानीय सांसद अधिनियम की धारा 10 पर अंतरिम रोक है और वह चाहती है कि यह आदेश तब तक जारी रहे जब तक सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता.

सिंह ने कहा कि गुजरात कानून के एक प्राधान और मध्य प्रदेश कानून के एक प्राधान पर रोक लगा दी गई है और उन याचिकाओं को यहां स्थानांतरित कर दिया है, इसलिए रोक जारी है और रोक उन कानूनों तक ही सीमित है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 के अधिनियम को चुनौती देने के लिए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है.

समीक्षा की और बचाव-राहत व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

मसूद अजहर के खानदान का खात्मा

ऑपरेशन सिंदूर में टॉप जैश कमांडर इलियास कश्मीरी का कबूलनामा

इस्लामाबाद, 16 सितंबर. भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर उसकी आतंकी फसलों को तबाह किया और अब यह बात खुद पाकिस्तान के पाले आतंकी कबूल कर रहे हैं.

भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के महीनों बाद, जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर ने स्वीकार किया है कि बहावलपुर में हुए भारत के अटैक में मसूद अजहर का परिवार साफ हो गया, वो टुकड़ों में बंट गए. कश्मीरी उर्दू में कहते सुना जा सकता है, आतंकवाद को गले



लगाते हुए, हमने इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिल्ली, काबुल और कंधार से लड़ाई लड़ी. सब कुछ बलिदान करने के बाद, बहावलपुर में 7 मई को

मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग साफ हो गए, टुकड़ों में बंट गए. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमले में 26 नागरिकों के मारे जाने के कुछ हफ्ते बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाते हुए, पाकिस्तान और पीओकेके अंदर नौ आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए.

देहरादून में बादल फटने से 13 की मौत

देहरादून, 16 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड के देहरादून जिले में पिछले 48 घंटों के दौरान बादल फटने और बारिश जनि

घटनाओं के कारण विभिन्न स्थानों पर 13 लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए जबकि 16 लोग अब भी लापता हैं. सरकारी एवं निजी परिसंपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है. देहरादून जनपद के सभी विकासखंडों में 13 पुल, 10 पुलिया, दो मकान, 31 दीवार, दो अमृत सरोवर, 12 खेत, 12 नहर, 21 सड़कें, सात पेयजल योजना आदि परिसंपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है. जिला अधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार शाम बताया कि सोमवार व मंगलवार

16 लापता की तलाश जारी



को बादल फटने की सूचना मिलते ही एचडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर ब्रिगेड आदि राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गए थे. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मालदेवता क्षेत्र में पहुंचे और आवश्यक

बंसल ने बताया कि इस दौरान, पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरसा दिलाया है. लीनिवि एवं पीएमजीएसवाई को पर्याप्त संख्या में मैन पावर और मशीनरी लगाते हुए अवरुद्ध सड़क एवं सड़क मार्गों को शीघ्र सुचारु करने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी बंसल ने बताया कि मजयाडा में तीन लोग मरने में दबे होने और एक व्यक्ति लापता होने की जानकारी मिली है. यहां पर कुछ आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, 13 दुकान, आठ होटल, तीन रेस्टोरेंट सहित सहस्रधाता-कालीगाड मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण नौ से अधिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है.

दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि वह और एसएसपी ने भी ग्राउंड जीरो पर मालदेवता, सहस्रधारा, गुजराडा, कालीगाड आदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर मौजूदा स्थिति और क्षति का स्थलीय निरीक्षण किया.

नई पॉलिसी क्यों लाई | हाईकोर्ट में सरकार ने स्पष्टीकरण देने मांगी मोहलत, अगली सुनवाई 25 को

जब सर्वोच्च रोक है तो फिर कैसे दी जा रही पदोन्नति

जबलपुर, 16 सितम्बर. मप्र हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब पुरानी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला विचाराधीन है तो नई पॉलिसी क्यों लाई गई. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने पूछा है कि यदि शीघ्र अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने कहा है तो यहां नए नियम के तहत क्यों दिए जा रहे प्रमोशन.



सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिकाएं यदि स्वीकार की जाती हैं तो नए के तहत किए जाने वाले पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि याचिकाएं निरस्त होती हैं तो नए नियम के तहत किए जाने वाली पदोन्नति पर क्या प्रभाव

पड़ेगा. दरअसल भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है. दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाई कोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है. इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में

वहीं मामले में अर्जेंट संघ सहित आरक्षित वर्ग की ओर से अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं. इनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, रामेश्वर सिंह ठाकुर, आकाश चौधरी, विनायक प्रसाद शाह, वरुण ठाकुर ने सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व के क्राफ्टिफाइबल डेटा प्रस्तुत किए. याचिकाओं में आरक्षण के विरोध वाले याचिकाकर्ताओं के प्रभावित होने वाले विधिक अधिकार पर प्रश्न उठाया. सभी मामलों पर अब एकसाथ सुनवाई होगी. मप्र शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन एवं महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से परिपत्र जारी कर वर्तमान स्थिति पर स्पष्टीकरण जारी करेंगे. जिस पर न्यायालय ने कहा अब स्पष्टीकरण आने के बाद सुनवाई करेंगे. अगली सुनवाई 25 सितंबर को निर्धारित की गई है.

नाममात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिए.

सीधी में लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पीट-पीटकर हत्या

- ▶ पति ने बेसबॉल बेट से किया हमला
- ▶ खाना नहीं बनाने पर हुआ था विवाद

सीधी 16 सितम्बर, लेडी हेड कॉन्स्टेबल की पति ने बेसबॉल बेट से हमला कर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पति ने विवाद के बाद हमला किया. दोनों के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ था. पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही

है. दोनों पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. यह पूरा घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की है. पुलिस का कहना है कि हेड कॉन्स्टेबल सविता साकेत और पति वीरेंद्र साकेत का लंबे समय से विवाद चल रहा था. सोमवार रात दोनों का झगडा हुआ था. इस दौरान वीरेंद्र ने सविता पर हमला कर दिया. गंभीर चोट के चलते सविता की मौके पर ही मौत हो गई.

